न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तगण

सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स रजा ट्रेडिंग कम्पनी, होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, स्थाई पताः होली चौक, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No.14/2026

''अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

–: निर्णय :– **दिनांक 07 अप्रेल, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 10–9–2025 को मैसर्स रजा ट्रेडिंग कम्पनी, होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब, निवासी– होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड सुबाग) का नमूना संख्या S-2798, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1520/Act/2025/1520 दिनांक 24–9–2025 में अमानक (sub-standard) & Contravense Regulation No. 2.3.7(2) of food safety and standard (Prohibitions and Restricitions on sales) Regulation, 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 01–4–2026 को प्रतिवादी सिराज अहमद ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जबाव प्रस्तुत किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 07–4–2026 को प्रतिवादी सिराज अहमद उपस्थित नही हुये व न ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 10–9–2025 को 04–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स रजा ट्रेडिंग कम्पनी, होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये, वहां पर प्रोपराईटर व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब, निवासी– होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स रजा ट्रेडिंग कम्पनी, होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स रजा ट्रेडिंग कम्पनी, होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही की दुकान के अन्दर दो गत्ता कार्टुन में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड सुबाग) के 30 प्लास्टिक पैक जार (प्रत्येक जार 500 एम.एल)

......पेज दो पर

अति.जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

आम जन को विक्रय हेतु रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब को गवाह श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स रजा ट्रेडिंग कम्पनी, होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही की दुकान के अन्दर दो गत्ता कार्टुन में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड सुबाग) के 30 प्लास्टिक पैक जार (प्रत्येक जार 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (सुबाग ब्राण्ड) के 4 प्लास्टिक पैक जार (प्रत्येक जार 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 900/– (रुपये नौ सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने प्रतिवादी विक्रेता सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब व उक्त गवाह के समक्ष लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2798, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड सुबाग) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड सुभाग) के खरीदशुदा चारों नमूना प्लास्टिक पैक जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा घी (ब्राण्ड सुबाग) के चारों नमूना जारों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 12–9–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर VI का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 10–9–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स रजा ट्रेडिंग कम्पनी, होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड सुबाग) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड सुबाग) के

......पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

नमूना संख्या S-2798 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./1520/Act/2025/1520 दिनांक 24—9—2025 में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड सुबाग) का नमूना अमानक (Sub-standard) & Contravense Regulation No. 2.3.7(2) of food safety and standard (Prohibitions and Restricitions on sales) Regulation, 2011 पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब ने उक्त खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड सुबाग) के खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब, प्रोपराईटर व विक्रेता, मैसर्स रजा ट्रेडिंग कम्पनी, होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही ने अमानक (Sub-standard) & Contravense Regulation No. 2.3.7(2) of food safety and standard (Prohibitions and Restricitions on sales) Regulation, 2011 खाद्य पदार्थ घी (सुबाग ब्राण्ड) (नमूना संख्या S-2798) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 के तहत अमानक (Sub-standard) & Contravense Regulation No. 2.3.7(2) of food safety and standard (Prohibitions and Restricitions on sales) Regulation, 2011 खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड सुबाग) (नमूना संख्या S-2798) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स रजा ट्रेडिंग कम्पनी, होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही, निवासी— होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील— पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही पर राशि रुपये 50,000/— (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी प्रतिवादी सिराज अहमद पुत्र मोहम्मद याकुब, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स रजा ट्रेडिंग कम्पनी, होली चौक, झण्डा गली, स्वरुपगंज, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय/आदेश आज दिनांक 07 अप्रेल, 2026 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)